


13/02/2020

पत्रावली पेश है। वकील श्री ११११११।  
 पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि  
 प्रकरण वाजस्य शिवेन अन्तर्गत धारा २५१(ए)  
 की उपधारा १ राज० करत० अधि० १९५५ संशोधित  
 २०१० का होने से इस न्यायालय के सहायक  
 का नहीं है। अतः पत्रावली न्यायालय उपखण्ड  
 अधिकारी, चौदहन को स्थानान्तरित की जावे।  
 न्यायालय की संख्या से कम हो।

  
 सहायक कलेक्टर  
 फास्ट ट्रेक चौदहन

